मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 8250 /NREGS-MP/NR-17 (नर्मदा.परि.पथ.)/11 भोपाल, दिनांक 10/08/11

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–म.प्र.

जिला– अनूपपुर, डिण्डौरी, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर,
सिवनी, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास,
खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर।

विषय–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. (महात्मा गांधी नरेगा) अंतर्गत नर्मदा नदी के परिक्रमा पथ को विकसित किये जाने हेतु **"नर्मदा परिक्रमा पथ"** उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन।

1. **पृष्ठभूमिः** नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा होने के साथ ही धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की देश की प्रमुख पवित्र नदियों में से है, जिसके प्रति लोग अटूट आस्था व श्रृद्धा रखते हैं। ऐसा विश्वास है कि पवित्र नदी के दर्शन मात्र से लोगों के मन में प्रसन्नता, अभूतपूर्व उत्साह एवं धनात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अमरकंटक से भरूच (गुजरात) तक बहने वाली 1312 कि.मी. लंबी स्मृति का परिक्रमा मार्ग अत्यंत सुन्दर पहाड़ी व मैदानी इलाकों से युक्त है। इसके कुछ हिस्से कठिनाईयों से भरे होने के बावजूद परिक्रमा करने वाले लोग उल्लास के साथ परिक्रमा सम्पन्न करते हैं। विकास की प्रक्रिया एवं समाज के धार्मिक व्यवहार के कारण गत शताब्दी में नर्मदा परिक्रमा क्षेत्रों में पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन आया है। कई स्थानों पर बांधों एवं अन्य विकास गतिविधियों के कारण परिक्रमा मार्ग में बदलाव होता आया है। वन एवं अन्य पर्यावरणीय स्वरूपों में भी काफी परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए अब तक समग्र रूप से प्रयास नहीं हुए हैं एवं सैकड़ों ग्रामों से परिक्रमा मार्ग के गुजरने के कारण परिक्रमा करने वालों के साथ–साथ ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा हेतु ये मार्ग अब उपयुक्त नहीं रहे हैं। यद्यपि परिक्रमा की प्रक्रिया के कारण नदी के पर्यावरण में किसी विपरीत प्रभाव को नहीं देखा गया है, तथापि सामान्य विकास एवं वन क्षेत्रों में हुई कमी के फलस्वरूप नर्मदा नदी के किनारों में क्षरण एवं कतिपय स्थानों पर प्रदूषण की समस्या सामने आ रही है।

अतः यह आवश्यक है कि नर्मदा परिक्रमा पथ का समग्र रूप से इस प्रकार विकास किया जाए कि एक ओर तो परिक्रमा करने वाले सामान्यजनों की कठिनाईयों को कम किया जा सके, तो दूसरी ओर नदी के पर्यावरण को सुधारने एवं क्षरण को कम करने में सहायता

हो सके। अतः महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रम प्रधान कार्य के रूप में नर्मदा परिक्रमा पथ के विकास किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत **"नर्मदा परिक्रमा पथ"** उपयोजना के नाम से यह कार्य सम्पन्न किए जाएंगे।

2. **उपयोजना का उद्देश्यः** परिक्रमा मार्ग में प्रदेश के 16 जिलों का ग्रामीण क्षेत्र शामिल है, उनमें प्रथम चरण के 08 जिले जहां जॉबकार्डधारियों की उपलब्धता अधिक है, परंतु विगत वर्षों में वृहद संख्या में कार्य संपादित होने के कारण वर्तमान में श्रममूलक कार्य सीमित रह गए हैं। परिक्रमा मार्ग पर स्थित ग्रामों में निवासरत् जॉबकार्डधारी परिवारों को उनके द्वारा रोजगार की मांग किए जाने पर उनके ग्राम के समीप ही उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके, इस हेतु कार्य मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुसूची 1 धारा 4 (3) में प्रावधानित कार्यों के संवर्ग के बिन्दु क्र. (viii) ग्रामीण सम्पर्कता के तहत परिक्रमा मार्ग विकसित किया जाकर ग्रामीण क्षेत्र के जॉबकार्डधारी परिवारों को अकुशल श्रममूलक रोजगार उपलब्ध कराये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त उददेश्य की पूर्ति हेतु **"नर्मदा परिक्रमा पथ"** उपयोजना तैयार की गई है, जिसकी आयोजना व क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

(i) **कार्य क्षेत्रः** नर्मदा परिक्रमा मार्ग के क्षेत्र में आने वाले प्रदेश के 16 जिले क्रमशः अनूपपुर, डिण्डौरी, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर के ग्रामीण क्षेत्र इसका कार्यक्षेत्र रहेगा।

(ii) **कार्य का स्वरूप एवं रूपरेखाः** प्रत्येक जिले में नर्मदा परिक्रमा पथ के लिए समग्र रूप से परियोजना तैयार की जाएगी। नर्मदा परिक्रमा पथ पर पड़ने वाले ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले कार्य के प्राक्कलन एक बार में ही तैयार किए जाकर परियोजना के अंश के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे एवं समग्र समन्वयन से कार्य सम्पन्न होंगे। इस कार्यवाही को सिलसिलेवार पूर्ण करने के लिए निम्नानुसार गतिविधियां सम्पन्न की जाएः

a. परिक्रमा स्थल को चिन्हित करते हुए जिले के नक्शे एवं विकासखण्ड के नक्शे पर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए, किस ग्राम पंचायत में कितना पथ है, यह विकासखण्ड के नक्शे में स्पष्ट होना चाहिए।

b. परिक्रमा पथ के लिए 3 मीटर चौड़ाई के पथ का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि सामान्य भूमि तल से पथ की ऊचाई इतनी हो कि पथ पर जल भराव न हो एवं क्षरण कम से कम हो। पथ पर उचित केम्बर निश्चित रूप से दिया जावे। पथ का सर्फेस सामान्यतः मिट्टी का इस प्रकार होना चाहिए कि खुले पैर पैदल यात्रा करने पर पैरों को नुक्सान न पहुंचे। मिट्टी का क्षरण कम करने के लिए मिट्टी की सर्फेस पर 3 इंच मोटाई में स्टोन डस्ट अथवा ऐसी कड़ी मिट्टी डाली जा सकती है, जिसमें सेण्ड के आकार से बड़े ग्रेवल के कड़े टुकड़े न हो। (टिपिकल पथ सेक्शन संलग्न है) पथ में आवश्यक क्रास ड्रेनेज वर्क जैसे पुलिया, रपटा एवं साईड ड्रेन आदि आवश्यकतानुसार अवश्य बनाए जाएं। दुर्गम स्थानों से जहां यह पथ निकलते हैं, वहां परिक्रमा करने वालों की सुरक्षा के दृष्टिगत ड्राई बोल्डर वॉलिंग करके पेरापिट बॉल अथवा अन्य आवश्यक स्लोप प्रोटेक्शन वर्क अवश्य बनाए जाएं। (यह सभी कार्य स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हुए श्रम प्रधान कार्यों के रूप में ही सम्पन्न किए जाएंगे)

c. प्रत्येक किलोमीटर या मोड़ों व मार्ग संगमों पर परिक्रमा पथ को विशेष पहचान देने के लिए विशेष डिजाईन का साईनेज स्थापित किया जाएगा। (स्टोन/ब्रिक मेसेनरी का यह साईनेज सीमेंट प्लास्टर किया जाकर तैयार किया जाए, जिसमें प्रोजेक्टेड/डिप्रेस्ट प्लास्टर से जानकारी लिखी जाए एवं निर्धारित रंग में ही पेन्ट किया जाए, डिजाईन पृथक से संलग्न है)

d. परिक्रमा करने वाले लोग सामान्य रूप से रास्ते में निर्धारित स्थानों पर विश्राम करते हैं। इन स्थलों पर ड्राई बोल्डर वॉलिंग की जाकर मिट्टी भराई करते हुए चबूतरों का निर्माण किया जाना चाहिए। यह चबूतरे रास्ते में आने वाले पेड़ों के चारों ओर या अन्यथा उचित स्थानों पर स्थानीय सामग्री का उपयोग करके ही बनाए जाए।

e. परिक्रमा पथ पर छायादार एवं फलदार वृक्ष लगाए जाने का कार्य इस शर्त पर किया जा सकता है कि इन वृक्षों को संधारित करने की पूर्ण व्यवस्था हो।

f. परिक्रमा पथ पर पीने के पानी हेतु स्थित जल संरचनाओं की मरम्मत का कार्य भी इस योजना में इस शर्त पर किया जा सकता है कि मजदूरी सामग्री पर व्यय 60:40 के अनुपात में हो।

3. **क्रियान्वयनः** कंडिका 4 में दर्शित रूपरेखा अनुसार उपयोजना का क्रियान्वयन जिला पंचायतों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगाः

(i) जन अभियान परिषद् द्वारा नर्मदा परिक्रमा पथ का विस्तृत सर्वेक्षण संपन्न किया जा चुका है। कंडिका 3 में उल्लेखित जिलों के जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सर्वे की जानकारी संबंधित जिले के जन अभियान परिषद् कार्यालय से प्राप्त की जावे।

(ii) जन अभियान परिषद से प्राप्त जानकारी के आधार पर ग्राम पंचायतवार परियोजनायें तैयार कर शेल्फ ऑफ वर्क्स में शामिल किए जाने हेतु त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त किया जावे। तदुपरांत ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में यह कार्य शामिल किये जावे।

(iii) निर्माण कार्य की प्रकृति के अनुसार सामान्यतः इस उपयोजना के कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा ही सम्पन्न किए जाएंगे। आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से भी महात्मा गांधी नरेगा के नियमों के अंतर्गत सम्पन्न करा सकेंगे।

(iv) इस उपयोजना में कार्यों की समग्र आयोजना जिले के कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जिला पंचायत के समन्वय से की जाएगी एवं कार्यपालन यंत्री के समग्र तकनीकी नियंत्रण में निर्माण कार्यों के प्राक्कलन मनरेगा कार्यों हेतु लागू जिला दर अनुसूची के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा अंतर्गत पदस्थ तकनीकी अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाएंगे एवं सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जावेगी। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधीक्षण यंत्री इस उपयोजना के लिए विशेष देखरेख एवं तकनीकी नियंत्रण रखेंगे।

(v) कार्य का क्रियान्वयन मनरेगा के प्रावधानों के अनुरूप मस्टर रोल पद्धति से अकुशल श्रम के कार्य जॉबकार्डधारी परिवारों से कराये जायेंगे।

4. **वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा संधारण** –

(i) प्रशासकीय स्वीकृति अनुरूप राशि की व्यवस्था महात्मा गांधी नरेगा योजना से की जावेगी।

(ii) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम एवं दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार लेखा संधारण एवं अंकेक्षण की व्यवस्था होगी।

5. **मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतानः**

(i) कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत होने पर मूल्यांकन का कार्य संबंधित उपयंत्री मनरेगा/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जावेगा।

(ii) कार्य का मूल्यांकन एवं जॉबकार्ड धारी मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान 15 दिवस की समय सीमा में बैंक/पोस्ट ऑफिस में खोले गये उनके खातों में किया जावे।

(iii) मनरेगा मद की राशि के मूल्यांकित मस्टर रोल एवं देयकों के माध्यम से व्यय की गई राशि की एम.आई.एस प्रविष्टि अनिवार्यतः की जावे।

6. **कार्य पूर्णता अवधि** – परिक्रमा पथ विकास कार्य मार्च 2013 तक सम्पन्न कराया जाना है। प्रत्येक कार्य को पूर्ण कराये जाने की अवधि प्रशासकीय स्वीकृति जारी दिनांक से सामान्यतः एक वर्ष रहेगी।

7. **सेवा मूल्यांकन एवं रखरखाव व्यवस्थाः**

(i) कार्य को निश्चित समयावधि में पूर्ण कर उससे परिक्रमावासियों को होने वाले लाभ व आवश्यक रखरखाव के लिये ग्राम पंचायत अथवा किसी स्वसहायता समूह के माध्यम से एक सेवा मूल्यांकन की व्यवस्था निर्मित की जावेगी। इस मूल्यांकन प्रणाली में परिक्रमावासियों के अनुभवों का समावेश अनिवार्य होगा।

(ii) परिक्रमा पथ का रखरखाव संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा के तकनीकी अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया जावेगा। वार्षिक संधारण कार्य हेतु कार्य की वास्तविक लागत जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक रखी जा सकेगी।

8. **अनिवार्य शर्तें**: उपयोजनांतर्गत मनरेगा मद से किये जाने वाले कार्यों की शर्तें

(i) ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित।

(ii) मानव श्रम के बदले मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित।

(iii) ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 संधारित करना अनिवार्य।

(iv) सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य।

(v) जॉबकार्डधारियों का मजदूरी भुगतान निर्धारित समय–सीमा में उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस में खातों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य।

(vi) सामग्री क्रय में भण्डार क्रय नियमों का पालन अनिवार्य।

(vii) प्रत्येक कार्य का एक्जिट प्रोटोकॉल अनिवार्य।

(viii) मनरेगा अधिनियम–2005 में वर्णित प्रावधानों का पालन अनिवार्य।

9. **गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग:**

(i) कार्यों का संपादन तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक कराया जावे।

(ii) कार्यों का भौतिक सत्यापन ग्राम स्तरीय सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति से कराया जावे।

(iii) जनपद स्तर पर 100 प्रतिशत, जिला स्तर पर 10 प्रतिशत एवं राज्य स्तर के अधिकारियों एवं क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा समय समय पर गुणवत्त निरीक्षण किया जा सकेगा।

(iv) कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मॉनीटरिंग जनपद, जिला एवं राज्य स्तर पर संलग्न परिशिष्ट–1,2,3 अनुसार की जावे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुये आगामी कार्यवाही की जावे।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र.8251/NREGS-MP/NR-17 (नर्मदा.परि.पथ.)/11 भोपाल, दिनांक 10/08/11

प्रतिलिपि

1. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
2. आयुक्त, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन, इन्दौर संभाग (म.प्र.)।
3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
4. अधीक्षण यंत्री, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन, इन्दौर मण्डल (म.प्र.)
5. कार्यपालन यंत्री, संभाग अनूपपुर, डिण्डौरी, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नर्मदा परीक्रमा पथ

Drawing - 1

परीक्रमा पथ का टिपिकल क्रास सेक्शन

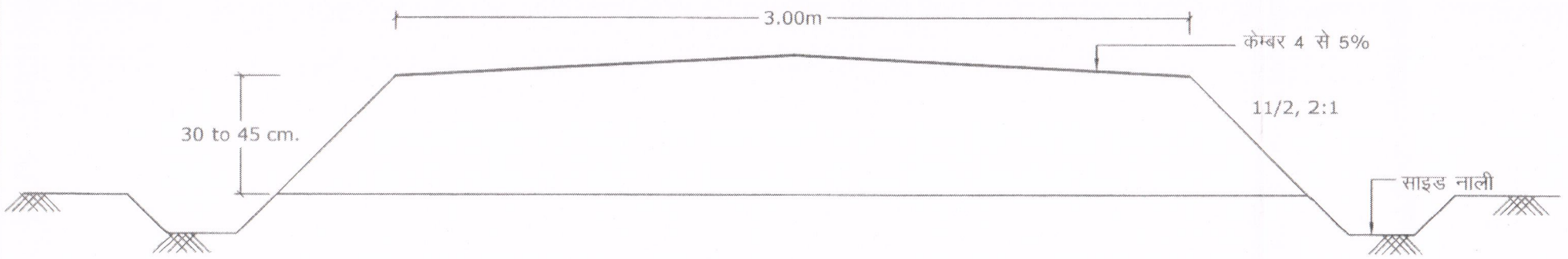

पथ का सर्फेस सामान्यतः मिटटी का हो जिसमें सेंड साइज से बडे ग्रेवल न हो।
मिटटी की सर्फेस को 7.5 से.मी. मोटी कूटी हुई स्टोन डस्ट से पाटा जा सकता है।

नर्मदा परीक्रमा पथ

Drawing -2

परीक्रमा पथ का टिपिकल कास सेक्शन

दुर्गम क्षेत्र / पहाडी क्षेत्रों में

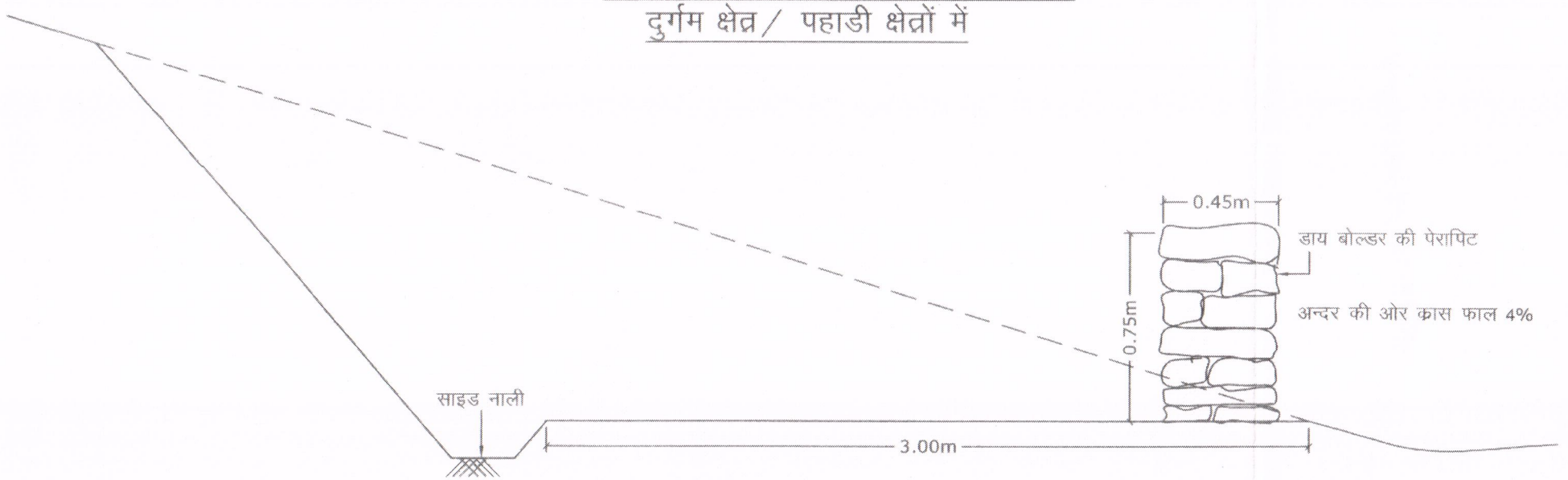

Drawing -3

नर्मदा परीक्रमा पथ

पथ पहचान चिन्ह

(प्रत्येक किमी पर या मोडों / मार्ग संगमों पर)

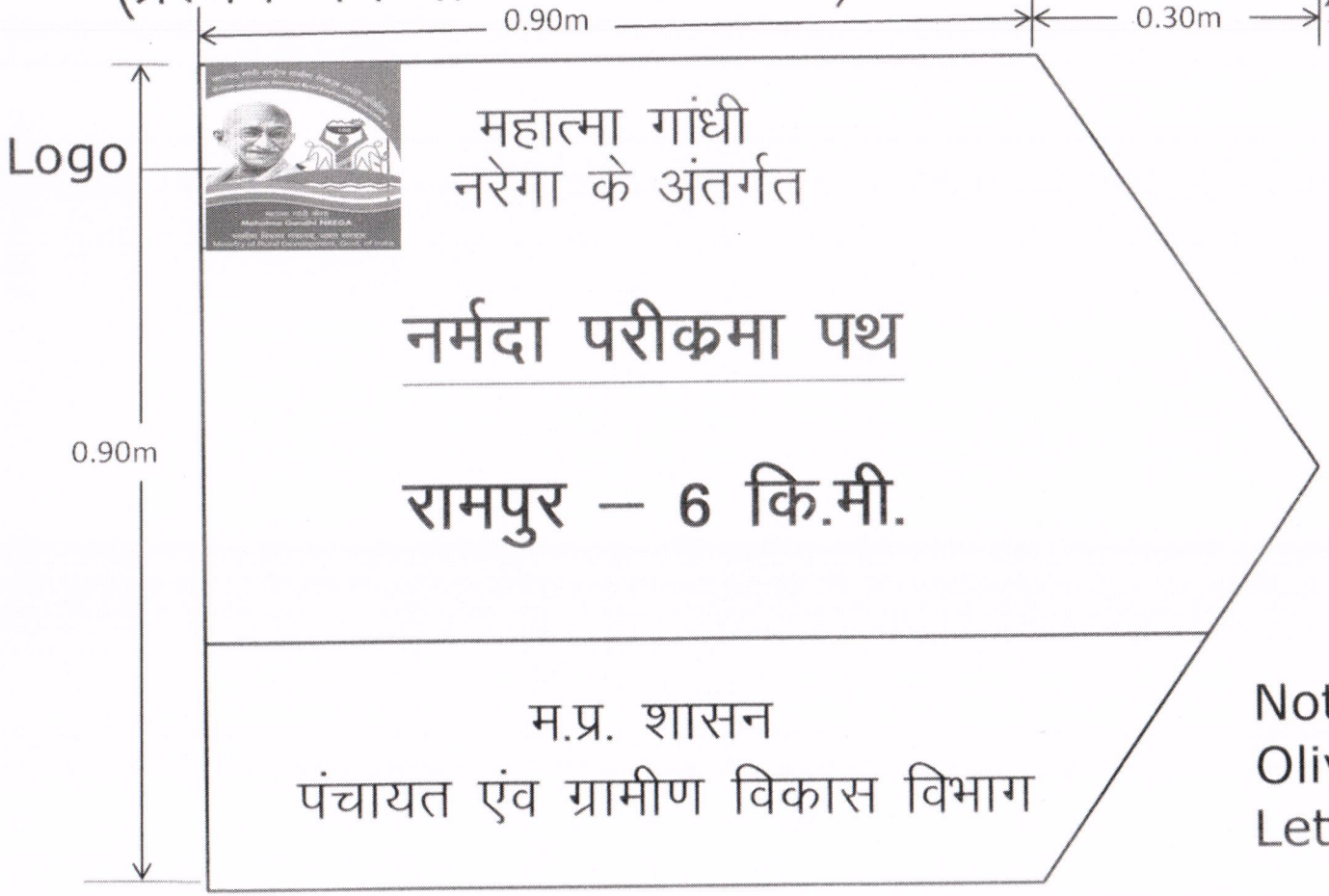

Note: **colour scheme**
Olive Green Background
Letters in White Colour